Title : Regarding exemption in Income-tax to exporters under DEPB scheme.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, कुछ निर्यातक रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं। उन्हें लगभग 20-30 साल बाद संसद के बाहर वाजिब मांगों के लिए आना पड़ा। आयकर अधिनियम 80 एचएचसी के अंतर्गत सभी निर्यात आमदनी आयकर से मुक्ति 2004-05 तक और आयकर अधिनयम 28 के अंतर्गत सभी प्रकार की एक्सपोर्ट रियायतों को एक्सपोर्ट आय का भाग माना जाता था। ये रियायतें लाइसेंस सीमा शुल्क की वापसी तथा नकद निर्यात वापसी थी। सन 1997 में डीईपीबी स्कीम शुरू की गई, जिसमें कस्टम ड्यूटी की वापसी की जाती थी। आयकर विभाग (वित्त मंत्रालय) 28 में इसको सम्मिलित नहीं किया, परंतु आयकर विभाग इसको ड्यूटी का वापसी (28 सी) के तहत मानकर निर्यातक की असैसमेंट 1997 से 2003 तक करता रहा।

आज अचानक 2004-2005 में निर्यातक की फाइलें खोलकर उन पर टैक्स की मांग सन 1997 से की जा रही है जो पैसा निर्यातक अपने व्यापार में खर्च कर चुका है।

महोदय, इसकी वजह से पिछले सात वर्षों में निर्यात का विकास चार लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत तुरन्त कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो देश का निर्यात केवल कम ही नहीं होगा, बल्कि बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसका खमियाजा हमारे गरीब कारीगर और मजदूर भाइयों को भुगतना होगा और सभी निर्यात से संबंधित लोग प्रभावित होंगे जिनकी संख्या आज लगभग पांच करोड़ तक पहुंच गई है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री इस ओर पूरा ध्यान देकर निर्यात करने वाले प्रभावित लोगों को सुनकर लाभ पहुंचाएंगे जिससे इस व्यापार को नुकसान न हो और पांच करोड़ लोग शिक्षित बेरोजगार न हों।

महोदय, सरकार बेरोजगारी को समाप्त करना चाहती है तो मेरा निवेदन है कि 1997 से की जा गणना की व्यवस्था और टैक्स की इस मांग को समाप्त करे। देश में पहले से ही बेरोजगारी बढ़ रही है, वह और ज्यादा न बढ़े और बेरोजगार लोगों रोजगार देने की जो यू.पी.ए. सरकार के सामने पहले से ही गम्भीर समस्या है, वह और न बढ़े। मैंने सरकार के हितार्थ ही यह प्रश्न सदन में उठाया है। मेरा निवेदन है कि टैक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट के धंधे में जो लोग लगे हुए हैं उनका व्यवसाय इस व्यवस्था से चौपट न हो और उनका व्यवसाय चलता रहे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : The House is now adjourned to meet tomorrow 9th August at 11.00 a.m.

20.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, August 9, 2005/Sravana 18, 1927 (Saka).